उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

पत्रांकः: 89/06/E-3/APS/DR/2022-23 दिनांकः: 20 सितम्बर, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या A-1/E-3/DR(APS)/2024, दिनांक 18 जुलाई, 2024 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 के सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध को मा0 आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–04 के अनुसार निस्तारित कर दिया गया है :–

क्र0 सं0	प्रत्यावेदक	प्रत्यावेदन के माध्यम से किया गया अनुरोध	निस्तारण आदेश
01	श्री पंकज कुमार	''महोदय आप अवगत है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा दिनांक– 26.04.2024 के आगामी परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेन्डर जारी किया गया है जिसमें सचिवालय प्रशासन/लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 की परीक्षा माह अक्टूबर 2024 में निर्धारित/प्रस्तावित है। महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड में उक्त परीक्षा का आयोजन वर्ष 2017 से अर्थात 7 वर्ष में आयोजन हो रहा है जिसमें उत्तराखण्ड के सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने हेतु आवेदन किया जायेगा, परन्तु उत्तराखण्ड के अधिकतम अभ्यर्थी जो ग्रामीण और पहाडी क्षेत्रों में रहकर उत्तराखण्ड के सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिये 2–3 माह में आशुलिपि की परीक्षा में प्रतिभाग करना सम्भव नहीं है जिस कारण कई अभ्यर्थी आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में उत्तराखण्ड के देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के क्षेत्रों के अलावा आशुलिपि कोर्स सीखानें हेतु पहाड़ के अधिकतम जिलों में प्रशिक्षक मिलना सम्भव नहीं हो पाता है जिस कारण आशुलिपि कोर्स सीखने हेतु पहाड़ के अभ्यर्थियों के लिये मुश्किल होता है। परिणामस्वरुप उत्तराखण्ड के आशुलिपि सम्बन्धित परीक्षाओं में अधिकतम देहरादून, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, हरिद्वार क्षेत्रों के ही अभ्यर्थी सफल होते है। महोदय यदि मिल जाये जो पहाड़ के दूरदराज के अभ्यर्थी भी उक्त परीक्षा की तैयारी कर सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान में सेवा करने के	आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। चूंकि आयोग द्वारा 30 अगस्त, 2024 को जारी परीक्षा कलैन्डर के अनुसार अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 की प्रथम चरण की परीक्षा माह अक्टूबर 2024 से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। जिसके क्रम में परीक्षा के आयोजन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है। अतः मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत आप द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

		योग्य हो जायेंगे। जिससे उत्तराखण्ड के सभी क्षेत्रों (विशेषतः पहाड़ी जिलों से) से शिक्षित युवा उत्तराखण्ड के सचिवालय प्रशासन/लोक सेवा आयोग में सेवा करने हेतु मौका मिल जायेगा। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए तथा उत्तराखण्ड के पहाड़ के सभी अभ्यर्थी के भविष्य हेतु उक्त परीक्षा का 10 माह की अतिरिक्त अवधि देते हुए पुनः उक्त प्रारंभिक परीक्षा हेतु नया परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित करने की कृपा करें''।	
02	ऊपरी आयु सीमा पूर्ण बेरोजगार युवक, उत्तराखण्ड, श्री अशोक लोहनी एवं श्री नरेन विष्ट	''महोदय निवेदन इस प्रकार है कि उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव की विज्ञप्ति वर्ष 2012–2019–2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है जो कि काफी वर्षों का अन्तराल रहा है। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि वर्ष 2019 में अपर निजी सचिव की विज्ञप्ति जारी की गयी थी जिसमें आवेदन करने के दौरान ''ओ'' लेवल कम्प्यूटर का प्रमाण पत्र उत्तराखण्डवासियों के पास उपलब्ध न होने के कारण आवेदन नहीं कर पाये थे जबकि उस वक्त कम्प्यूटर ''ओ'' लेवल कम्प्यूटर प्रमाण पत्र के स्थान पर कम्प्यूटर का ज्ञान होने विषयक अनुरोध किया गया था। इस संबंध में पत्रावली मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन होना था परन्तु पत्रावली मा0 मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पायी। जिस हेतु उत्तराखण्ड के अनेकों शॉर्टहेन्ड, कम्प्यूटर ज्ञान कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग में अच्छा ज्ञान रखने वाले बेरोजगार युवाओं को आवेदन करने का अवसर नहीं मिल पाया है। महोदय उत्तराखण्ड के मूल निवास के कई बेरोजगार युवक ऐसे भी हैं जो शॉर्टहेन्ड लिखने की स्पीड व हिन्दी, अंग्रेजी टाइपिंग का अच्छा ज्ञान रखते हैं, परन्तु अपर निजी सचिव की विज्ञप्ति काफी देर में आने व कोविड–19 का आ जाने के कारण होनहार शॉर्टहेन्ड बेरोजगार युवक ऊपरी आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है। महोदया जी के संज्ञान में यह भी लाना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या–51/06/E-3/APS/DR/2022-23 दिनांक 15 जुलाई, 2024 को विज्ञप्ति जारी की है। जबकि	आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। चूंकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश के आधार पर ही लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा के विज्ञापन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन हेतु में न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख किया जाता है। अतः मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत आप द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

		2022–2023 की विज्ञप्ति अपर निजी सचिव की विज्ञप्ति जुलाई, 2024 में जारी की गयी है। यानि दो वर्ष बाद जारी आयोग द्वारा की जाती है। यदि यह विज्ञप्ति वर्ष 2022 में जारी की जाती तो जिनकी आयु आज के समय में 45 वर्ष की है वह बेरोजगार शॉर्टहेन्ड युवक उक्त के लिए आवेदन कर सकते थे। जिस कारण अनेकों शॉर्टहेन्ड बेरोजगार युवक इस आवेदन करने से वंचित हो गये हैं। अतः आपसे निवेदन है कि ऊपरी आयु सीमा पूर्ण करने वाले एवं हिन्दी शॉर्टहेन्ड योग्य, कम्प्यूटर टाईपिंग वाले होनहार उत्तराखण्ड के युवकों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिलाने की महत्ती कृपा करें। जिनकी जन्मतिथि 1979 व 1980 है उनको भी इस पद पर एक बार आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए आवेदन करने का अवसर दिलाने की महत्ती कृपा करें। ताकि हम ऊपरी आयु सीमा पूर्ण करने वाले शॉटहेन्ड कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिंग रहित युवकों को निराशाजनक न होना पड़े। कृपया इस संबंध में यदि आप चाहें तो सिर्फ एक बार विचार करने की महत्ती कृपा करें। आपके एक बार क विचार से कई युवकों का जिंदगी संवर जा सकती है। क्योंकि यह मौका हम लोगों को बार–बार नहीं मिल सकती है। आपके एक बार के विचार करने से हम और हमारा पूरा परिवार आपके आजीवन आभारी रहेंगे। धन्यवाद''।	
03	चन्द्रकला	''उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थिनी द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपर निजी सचिव भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया गया है। प्रार्थिनी वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्यरत है। किंतु महोदय प्रार्थिनी द्वारा अपर निजी सचिव के एप्लीकेशन फार्म में त्रुटिवश सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण संख्या संबंधी कॉलम में जानकारी अंकित कर दी गई है, जबकि प्रार्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, जिसकी जानकारी प्रार्थिनी द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में दे दी है। महोदय आयोग द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन हेतु एक बार मौका दिया गया है, जिसके उपरांत प्रार्थिनी द्वारा संशोधन हेतु प्रयास किया गया कितुं कम्प्यूटर में कुछ दिक्कत आने के कारण प्रार्थिनी को एप्लीकेशन फॉर्म में बिना संशोधन किये ही आईडी लॉगआउट करना पडा। जिस वजह से प्रार्थिनी एप्लीकेशन फॉम में हुई गलती/त्रुटि को संशोधित नहीं कर पाई। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थिनी की	आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत आप द्वारा किये गये अनुरोध को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि यदि प्रथम चरण की परीक्षा में आप अर्ह/सफल घोषित होते हैं, तो अभिलेख सत्यापन के समय प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध की पुष्टि हेतु आयोग कार्यालय में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आपके दावे को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

		एप्लीकेशन फॉर्म में हुई सहवन गलती / त्रुटि को सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण के विकल्प के स्थान पर सरकारी सेवा में कार्यरत समझा / किया जाने की कृपा कीजिएगा''।	
04	श्री विशांक चौधरी	''विज्ञापन संख्या– A-1/E-3/DR(APS)/2024 दिनांक 18 जुलाई 2024 सचिवालय / लोक सेवा आयोग, अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के लिए जो विज्ञप्ति आयोग द्वारा जारी की गई थी उसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 / 08 / 2024 थी, प्रार्थी एक दिव्यांग अभ्यर्थी है जिसकी दिव्यांगता उप श्रेणी cp (cerebral plasy) है, जब पहले विज्ञप्ति जारी की गई थी तब विज्ञप्ति में cp (cerebral plasy) के लिए कोई पद स्पष्ट रुप से आवंटित नहीं था जिस कारण प्रार्थी प्रतिभाग करने हेतु आवेदन नहीं कर सका, चूंकि अब दिनांक 12 / 08 / 2024 को आयोग द्वारा सूचना दी गई कि शासन द्वारा वांछित संशोधन उपरांत खिलाड़ी तथा दिव्यांग उप श्रेणी के कुछ पद स्पष्ट रुप से आरक्षित कर दिए गए है, जिसमें cp (cerebral plasy) के लिए भी पद सम्मिलित है। अतः आपसे निवेदन है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी दिनांक 07 / 08 / 2024 तक अपना आवेदन नहीं कर सके आयोग द्वारा दिव्यांग हितों को ध्यान में रखते हुए जिससे संशोधन का लाभ सभी अभ्यर्थी प्राप्त करे, एक बार पुनः दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाए, तथा आवेदन करने की तिथि एक बार पुनः विस्तारित करने की कृपा करें''।	आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। चूंकि अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 हेतु दिनांक 18 जुलाई, 2024 को प्रकाशित विज्ञापन के **बिन्दु संख्या 02 (रिक्तियों का विवरण) के नोट** में स्पष्ट अंकित है कि *''उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडियों हेतु आरक्षित पदों एवं दिव्यांगता श्रेणी हेतु उपश्रेणीवार आरक्षित पदों के सम्बन्ध में पृथक से शुद्धि पत्र जारी किया जायेगा। कुशल खिलाडी / दिव्यांग अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त चिन्हांकित दिव्यांग उपश्रेणी का ऑनलाइन आवेदन, आवेदन प्रत्र भरने की अन्तिम तिथि तक करना सुनिश्चित करें, अन्यथा शासन से प्राप्त प्रति उत्तर के उपरान्त दिव्यांग उपश्रेणी / कुशल खिलाडी हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष जारी किये जाने वाले शुद्धि पत्र के पश्चात उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा''।* अतः मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत आप द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध को विज्ञापन के **बिन्दु संख्या 02** के आलोक में अस्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।

कृपया उक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।